



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2448]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2015/कार्तिक 26, 1937

No. 2448]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2015/KARTIKA 26, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2015

का.आ.3100(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

2. ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी गारो पहाड़ी, पश्चिमी गारो पहाड़ी और दक्षिणी गारो पहाड़ी जिलों नाम के तीन जिलों के तिराहे पर स्थित है और यह संपूर्ण पहाड़ी भू-भाग है तथा मेघालय राज्य के पश्चिमी भाग में तूरा पहाड़ी रेंज पर स्थित है। यह तीन जिलों के लिए जलविभाजक, जो बृहद नदी पद्धति के महत्वपूर्ण आवाह क्षेत्र बनाता है जो गारो पहाड़ी के क्षेत्रों के निम्न क्षेत्रों का पोषण करता है और महत्वपूर्ण बड़ी नदियां सिमसनग नदी गनोल नदी, दारेन्ग नदी, नितार्ई, भुताई और अन्य जल प्रजातियां इस क्षेत्र से निकलती है। इस

क्षेत्र में लाल डुम्मटी मिट्टी और उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र जिसमें वर्षा होती है तथा उच्च आद्रता, काफी ठंडा जाड़ा और थोड़ा गर्म ऋतु होती है। संपूर्ण जीवनमंडल के उच्च वर्ष होती है तथा संपूर्ण क्षेत्र में गीलापन रहता है;

और यह क्षेत्र निम्न अक्षांश पर बांस के कोष्ठकों सहित व्यापक पत्तियों वाला सदाहरित और अर्द्ध सदाहरित वनों वाला है तथा क्षेत्र जैव भौगोलिक प्रदेश 4.09.04 (बर्मा मानसून वन) में आता है। यह उत्तर पूर्व भारत जो वनवार और रोजर्स (1980) द्वारा यथावर्णित है जैव भौगोलिक इकाई 9 वी मेघालय पहाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है,

और इस क्षेत्र की विशेषता साइट्रस इण्डिका टानका की प्रचूर मात्रा में प्राकृतिक उपस्थिति है और यह अत्यधिक आदिम तथा साइट्रस स्पेस शायद पूर्वज प्रतीत होते हैं और यह एक संकटापन्न और स्थानिक प्रजाति नोकरेक जीवमंडल आरक्षित है।

और यह क्षेत्र अत्यधिक दुर्लभ, समाप्तप्राय एयानिक वन्य प्रजाति जैसे दूलाक, गिब्वन का भी है। भारत में लंगूर केवल ऐसे में पाए जाते हैं जहां एक समुचित जनसंख्या पाई जाती है तथा यह क्षेत्र जैवविविधता के वैश्विक प्रमुख स्थानों में से एक है और स्थानांतरी खेती का रिवाज ने भिन्न-भिन्न भूमि के विविध प्रयोग का सृजन किया है और वनस्पति की आनुक्रमिक प्रास्थिति तथा गैर श्रेणीकृत भूमि सहित प्राथमिक और द्वितीयक वनों के प्राकृतिक दृश्य है तथा निजी पाटियों द्वारा कोयला खनन से वन की हानि भूजल का गिराना, सतही जल काह प्रदूषण, हाथियों की विशेष आदतों का अपखंडन और जानवरों के विचरण बाधा उत्पन्न हुई है तथा एकधान्य पौधारोपण द्वारा प्राकृतिक वनस्पति का बदलाव प्राकृतिक दृश्य का प्रास्थिकीय को अन्य बड़े विकास द्वारा संतर्जन है;

और, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोकरेक उद्यान की सीमा से 2 किलोमीटर से 8 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से 2 किलोमीटर से 8 किलोमीटर है। पारिस्थितिक संवेदी जोन का क्षेत्र 27,148 हेक्टेयर है।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र अक्षांश और देशान्तर के साथ-साथ **उपाबंध II** के रूप में उपाबद्ध है।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची प्रमुख बिन्दुओं के निर्देशांक **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है।

2. **पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना --**(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित सभी संबद्ध राज्य सरकार के विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

- (iv) पर्यटन ;
- (v) नगरपालिक ;
- (vi) राजस्व ;
- (vii) कृषि ; और
- (viii) मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचना और कार्यकलापों में दक्षता और पारिस्थितिकी अनुकूलता का संवर्द्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यंकन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास और स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुनिश्चित करते हुए विनियमित होगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय-- राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :-

(1) **भू-उपयोग** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए वनों, पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद. सं. 24, 28, 30, और 35 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

- (i) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
- (ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि ;
- (iii) वर्षा जल संचयन; और
- (iv) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण शिल्पी भी हैं :

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में पाई जाने वाली कोई त्रुटि मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः बनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनर्नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन** -- (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, जो आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे, आंचलिक महायोजना का भाग रूप में निम्नलिखित रूप में होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, मेघालय सरकार द्वारा राजस्व और वन विभाग, मेघालय सरकार के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा ;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के आवास के सिवाय अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर नए होटलों और नए होटलों और विश्रामस्थलों के सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी;

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नये होटलों और रिसर्टों का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और पदाविहित क्षेत्रों में पर्यटन अनुकूल सुविधाओं के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल** - पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और अहातों की पहचान की जाएगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार की जाएंगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिष्कार का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिष्कार का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 को प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;
- स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्करण के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;
- जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;
- अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और इसके अध्याधीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :		
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी प्रकार के खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानों और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4.8.2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21.04.2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
(2)	आरा मशीनों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और प्रदूषण कारित करने वाले विद्यमान उद्योगों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।

(5)	नए बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(6)	पर्यटन से संबंधित रज्जुमार्गों के भांति क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुबारों आदि द्वारा अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्वाह और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(8)	खतरनाक पदार्थों का उपयोग यग उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(9)	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापन ।	पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के आवास के सिवाय अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर नए होटलों और नए होटलों और विश्रामस्थलों के सन्निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी; परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा के 1 किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक नये होटलों और रिसोर्टों का स्थापन केवल पूर्व परिभाषित और पदाविहित क्षेत्रों में पर्यटन अनुकूल सुविधाओं के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ;
(10)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) ।
(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसके अंतर्गत पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी हैं, के सिवाय, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी प्रकार के नए संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होंगे । लघु उद्योग से संबंधित सन्निर्माण क्रियाकलाप जिसमें प्रदूषण न हो, उसे विनियमित किया जाएगा जिससे कि उसका प्रभाव कम हो ।
विनियमित क्रियाकलाप		
(12)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किन्हीं वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
(13)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए ही जल का सतही और भूमिगत जल निष्कर्षण अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल के निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकारी से पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिमाण में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी भी स्रोत से, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, जल के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(14)	कृषि प्रणालियों में प्रबल बदलाव ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(15)	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना ।
(16)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(17)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ़ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(18)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(19)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(21)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

(22)	वायु (जिसमें ध्वनि भी सम्मिलित है और यानिक प्रदूषण)।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(23)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्वाह का निस्सारण।	उपचारित बहिर्वाह के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा।
(24)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन उद्योग और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं,।
(25)	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(26)	सुरक्षा बलों के कैंप।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
(27)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी : परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में 100 प्रतिशत आयातित काष्ठ स्टाक उपभोग करने वाले नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना की जा सकेगी।
(28)	पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकीय अनुकूल कुटीर, जैसे तंबू, लकड़ी के घर आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
अनुमत क्रियाकलाप :		
(29)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
(30)	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(31)	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(32)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
(33)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
(34)	वानस्पतिक बाड़।	लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात।
(35)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

- (क) वन्य संरक्षक मेघालय सरकार - अध्यक्ष ;
- (ख) मुख्य वन अधिकारी, गारो पहाड़ी स्वायत्त जिला परिषद (जीएमएडीसी) - सदस्य;
- (ग) राजस्व विभाग से प्रतिनिधि संबद्ध गारो पहाड़ी जिला - सदस्य;
- (घ) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों का मेघालय सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य ;
- (ङ) पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में मेघालय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ - सदस्य ;
- (च) प्रखंड वन अधिकारी/संबद्ध गारो पहाड़ी वन्यजीव - सदस्य-सचिव।

6. निर्देश निबंधन

(1) मानीटर समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबधित संरक्षक/उद्यान और अभयारण्य कोई व्यक्ति जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, उसके विरुद्ध, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधिय प्रति मुद्दे की अपेक्षाओं के अनुसार विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे।

[फा.सं. 25/25/2015-ईएसजेड/आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, मेघालय के प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाएं और चारदीवारी।

उत्तर : उत्तरी सीमा ग्रामोज है मंडल चोकर (25°30'704" उ और 90°20'045") जो संरक्षित क्षेत्र से लगभग 6 कि.मी. बांसिगगरी (25°30'535" उ और 90°27'389" पू) जो सं. से. से लगभग 5 कि.मी. बांडी ग्री (25°30'406" उ और 90°24'018" पू) जो सं. से. से 5 कि.मी. से होकर जाती है।


पूर्व : पूर्वी सीमा में रोंगबिराग्री (25°27'010" उ और 90°35'028" पू) जो सं. से. लगभग 20 कि.मी. ग्राम है।

पश्चिम : प. सीमा में ग्राम जैसे निकरांग एडिंग (25°30'627" उ और 90°13'548" पू) जो लगभग 2 कि.मी. है और डेरंग्रे (25°28'56.3" उ और 90°14'17.9" पू) जो स. से. से लगभग 3 कि.मी. है।

दक्षिण : दक्षिण सीमा महत्वपूर्ण हाथी कोरिडोर जैसे इमाग्रे (25°22'28.7" उ और 90°33'07.0" पू) जो सं. से. से 8 कि. मी. है और चिरीनगमा (25°23'08.1" उ और 90°25'29.9" पू) जो सं. से. से लगभग 5 कि.मी. से मिलकर बनती है।

उपाबंध II

नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, मेघालय पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र ।



उपाबंध-III

राष्ट्रीय उद्यान, मेघालय की प्रस्तावित पारिस्थितिकीय संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं .	गांव का नाम	अक्षांश	देशांतर
1.	रोंगकुगरे	25°23'33.9" उ	90°25'24.3" पू
2.	दुरा आसीम	25°27'12.3" उ	90°16'32.3" पू
3.	दुराबंदा	25°25'51.6" उ	90°16'53.8" पू
4.	आवेगरे	25°25'58.6" उ	90°18'21.8" पू
5.	अंछिगरे	25°25'53.4" उ	90°18'58.2" पू
6.	पसीमगरे	25°25'47.9" उ	90°19'33.9" पू
7.	रोंगछेंगरे	25°25'35.0" उ	90°20'13.7" पू
8.	रोंगडिगरे	25°24'43.3" उ	90°19'20.9" पू
9.	दानागरे	25°25'27.3" उ	90°20'54.9" पू
10.	मेकालपारा	25°25'28.4" उ	90°23'03.8" पू
11.	रौबंगा	25°25'17.1" उ	90°23'20.3" पू
12.	कालबंगरे	25°23'55.1" उ	90°22'54.9" पू
13.	रोंगासी	25°25'27.7" उ	90°25'25.9" पू
14.	रोंगरुगरे	25°23'33.9" उ	90°25'24.3" पू
15.	छिरींगमा	25°23'08.1" उ	90°25'29.9" पू
16.	रोंगरुआसीम	25°23'16.3" उ	90°26'28.8" पू
17.	दारेंगरे	25°24'25.6" उ	90°26'45.7" पू
18.	जेत्रागरे	25°25'26.2" उ	90°27'31.8" पू
19.	रोंगमाकाकिजा	25°28'56.3" उ	90°14'17.9" पू
20.	रेकमांगरे	25°22'58.8" उ	90°29'57.6" पू
21.	पारोमगरे	25°24'05.1" उ	90°30'48.8" पू
22.	रोंगमा अंटी	25°24'47.1" उ	90°31'00.2" पू
23.	दाबालगरे	25°23'45.5" उ	90°33'17.8" पू
24.	अरौकनोकातगरे	25°23'11.6" उ	90°35'25.1" पू
25.	गोंगजागरे	25°25'508" उ	90°35'268" पू
26.	काकवादुरागरे	25°26'497" उ	90°33'797" पू
27.	रोंगबोकगरे	25°27'289" उ	90°33'565" पू
28.	माबोकगरे	25°27'47.7" उ	90°32'214" पू
29.	नोजांगरे	25°27'205" उ	90°32'577" पू
30.	सोबोकगरे	25°27'56.8" उ	90°31'29.2" पू
31.	नेंगसरंगअदुगरे	25°28'52.6" उ	90°29'10.9" पू
32.	पाथालगरे	25°29'537" उ	90°29'934" पू
33.	जिंगामगरे	25°29'230" उ	90°28'428" पू
34.	बंसिनगरे	25°30'535" उ	90°27'389" पू
35.	रोंगछेकगरे	25°29'298" उ	90°25'506" पू
36.	आपांगगरे	25°29'318" उ	90°24'003" पू
37.	बंदीगरे	25°30'406" उ	90°24'018" पू

38.	मंडलगरे	25°30'943" उ	90°22'137" पू
39.	बोलदोरेगरे	25°31'978" उ	90°14'790" पू
40.	निकरांगआदिंग	25°30'627" उ	90°13'548" पू
41.	दुरा कालाकगरे	25°30'561" उ	90°18.454" पू
42.	मंडलनोकट	25°30'704" उ	90°20'045" पू
43.	रोंगबिंगरे	25°27'010" उ	90°35'028" पू
44.	एमानगरे	25°22'28.7" उ	90°33'07.00" पू
45.	दादुगरे	25°22'29.8" उ	90°33'08" पू
46.	बावेदुरागरे	25°28'34.6" उ	90°33'05.3" पू
47.	साकालगरे	25°29'28.9" उ	90°17'20.8" पू
48.	बालादिंगरे	25°29'35.8" उ	90°17'27.0" पू
49.	दारेछिकगरे	25°31'23.6" उ	90°16'19.1" पू

उपाबंध-IV**पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान**

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना भी है ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश (पारिस्थितिक संवेदी जोनवार) ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th November, 2015

S.O.3100(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the Public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified

to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, JorBagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at:- esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Nokrek National Park is located at the tri junction of three districts, i.e. East Garo Hills, West Garo Hills and South Garo Hills Districts and the entire area is hilly terrain and is located on Tura Range of mountain system in the western part of Meghalaya State and the surrounding area is the principal watershed for the three districts; it forms an important catchment area of the major river system which feed the other low-lying areas of Garo Hills and the major important rivers originating from this area are Simsangriver, Ganolriver, Dareng river, Nitai, Bhugai and other water systems and the area consists of red loamy soil and has a tropical climate characterized by high rainfall and high humidity, moderate cold winter and mild summer seasons and the entire Biosphere area receives high rainfall and well distributed all over the entire area;

AND WHEREAS, the area supports broad-leaved evergreen and semi-evergreen forests with brackets of bamboo at lower altitudes and area falls under Bio-geographical province 4.09.04 (Burma monsoon forest) and it represents Bio-geographical unit 9 B Meghalaya Hills in the North-East India as described by Panwar and Rogers (1988);

AND WHEREAS, the special feature of the area is the abundant natural occurrence of *Citrus indica Tanaka* and it seems to be the most primitive and perhaps the progenitor of the *Citrus spp* and this is an endangered and endemic species to Nokrek Biosphere Reserve;

AND WHEREAS, the area also harbours many rare, endangered and endemic faunal species like *Hoolock gibbon*, the only Ape in India, is also found in the area where a sizeable population has been found to be present and the area forms a part of one of the global hot spots of biodiversity;

AND WHEREAS, the practice of shifting cultivation has created a mosaic of various land use categories and successional stages of vegetation and the landscape consists of primary and secondary forests along with degraded land and the coal mining by private parties has led to loss of forests, depletion of ground water and population of surface water, fragmentation of key elephant habitats and disturbance in the movement of animals and replacement of natural vegetation by monoculture plantations is the other major development driven threat to the ecology of the landscape;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of the Nokrek National Park as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 2.0 kilometre to 8.0 kilometre from the boundary of the Nokrek National Park in the State of Meghalaya as the Nokrek National Park Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. **Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.**-(1)The extent of Eco-sensitive Zone is varies from 2.0 kilometres to 8.0 kilometres approximately from the boundary of the Nokrek National Park and the total area of the Eco-sensitive Zone is about 27,148 hectare approximately.

(2) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I**.

(3) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with its latitude and longitude is appended as **Annexure II**.

(4) The list of the villages falling within the Eco-sensitive Zone along with coordinates of prominent points is appended as **Annexure III**.

2. **Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.**-(1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

- i. Environment;
- ii. Forest;
- iii. Urban Development;
- iv. Tourism;
- v. Municipal;
- vi. Revenue;
- vii. Agriculture; and
- viii. Meghalaya State Pollution Control Board,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and Eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.**-The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.**- Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 24, 28, 30 and 35 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

- (i) Small scale industries not causing pollution;
- (ii) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, for Eco-friendly tourism activities;
- (iii) Rainwater harvesting; and
- (iv) Cottage industries including village artisans:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of the Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural Springs.**- The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.**-(a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by the Department of Tourism, Government of Meghalaya in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Meghalaya.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely :-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the Eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (as amended from time to time) with emphasis on Eco-tourism, Eco-education and Eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Sanctuary except for accommodation for the temporary occupation of tourist related to Eco-friendly tourism activities ;

Provided that beyond the distance of one Kilometre from the boundary of the protected Areas till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be permitted only in predefined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural Heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.**- The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.**- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes.** - Disposal of solid wastes shall be as under.- (i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material shall be disposed of in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.**-The Bio-medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in

the erstwhile Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic.** - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government and the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

4. List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-All activities in the Eco-sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder and shall be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Activity (2)	Remarks (3)
Prohibited Activities:		
1.	Commercial Mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited except for the domestic needs of <i>bona fide</i> local residents. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N.GodavarmanThirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21.04.2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Undertaking activities related to tourism like rope ways, over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new or expansion of existing commercial establishments such as hotels and resorts shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
10.	Uses of plastic carry bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
11.	Construction activities.	No new construction of any kind shall be permitted within the Eco-sensitive Zone, except for the domestic needs of local residents including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. Construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum.

Regulated Activities:		
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest land or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for <i>bona fide</i> agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land. (b) The extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned Regulatory Authority. (c) No sale of surface water or ground water shall be permitted. (d) Steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Drastic change of agriculture system.	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	Promote underground cabling.
16.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads, rail tract.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable
18.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
19.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
21.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Air (including noise) and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
23.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
24.	Small scale industries not causing pollution.	Non-polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone which do not cause any adverse impact on environment.
25.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
26.	Security Forces Camp.	Regulated under applicable laws.
27.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided that new wood based industry may be set up in the Eco-sensitive using 100% imported wood stock.
28.	Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities.	Regulated under applicable laws.
Permitted Activities:		
29.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming and fisheries.	Permitted under applicable laws.
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Use of renewable energy sources.	Permitted under applicable laws.
34.	Vegetative fencing.	Permitted under applicable laws.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.

5. **Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.**- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following namely:-

- (a) The Conservator of Forests (Territorial and Wild Life), Government of Meghalaya – Chairman;
- (b) Chief Forest Officer, Garo Hills Autonomous District Council (GHADC) - Member;
- (c) A representative from the Revenue Department, Garo Hills District concerned -Member;
- (d) A representative of Non-governmental Organisations working in the field of environment (including heritage conservation) to be nominated by the Government of Meghalaya for a term of one year in each case – Member;
- (e) One expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Meghalaya for a term of one year in each case - Member; and
- (f) Divisional Forest Officer (concerned), Garo Hills Wildlife Division - Member Secretary.

6. Terms of Reference:

- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this Notification.
- (2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.
- (4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wild Life Warden of the State per proforma appended at **Annexure IV**.
- (7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No. 25/25/2015-ESZ/RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

Annexure I

Limits and boundaries of the proposed Eco-sensitive Zone of Nokrek National Park, Meghalaya.

North: The Northern boundary makes up of villages like MandalNokat (25°30'704" N & 90°20'045") which is approximately 6 km from the Protected Area (PA), Bansingre (25°30'535" N & 90°27'389" E) which is approximately 5 km from PA, Bandigre (25°30'406" N & 90°24'018" E) which is 5 km from the PA.


East: The eastern boundary comprises of villages like Rongbinggre (25°27'010" N & 90°35'028" E) which is only about 2 km from the PA.

West: The western boundary has villages like NkrangA'ding (25°30'627" N & 90°13'548" E) which is approx. 2 km and Darengre (25°28'56.3" N&90°14'17.9" E) which is approx. 3 km from the PA.

South: The southern boundary comprises of important elephant corridors like Emangre (25°22'28.7" N & 90°33'07.0" E) which is approx. 8 km from the PA and Chiringma (25°23'08.1" N&90°25'29.9" E) which is approx. 5 km from the PA.

Annexure II

Map of Eco-sensitive Zone boundary of Nokrek National Park, Meghalaya.



Annexure III

List of villages falling within the proposed Eco-sensitive Zone of Nokrek National Park, Meghalaya.

Sl. No.	Name of villages	Latitude	Longitude
1.	Rongkugre	25°23'33.9" N	90°25'24.3" E
2.	Dura Asim	25°27'12.3" N	90°16'32.3" E
3.	Durabanda	25°25'51.6" N	90°16'53.8" E
4.	Awegre	25°25'58.6" N	90°18'21.8" E
5.	Anchigre	25°25'53.4" N	90°18'58.2" E
6.	Pasingre	25°25'47.9" N	90°19'33.9" E
7.	Rongchenggre	25°25'35.0" N	90°20'13.7" E
8.	Rongdigre	25°24'43.3" N	90°19'20.9" E
9.	Danagre	25°25'27.3" N	90°20'54.9" E
10.	Mekalpara	25°25'28.4" N	90°23'03.8" E
11.	Ruabanga	25°25'17.1" N	90°23'20.3" E
12.	Kalbanggre	25°23'55.1" N	90°22'54.9" E
13.	Rongasi	25°25'27.7" N	90°25'25.9" E
14.	Rongrugre	25°23'33.9" N	90°25'24.3" E
15.	Chiringma	25°23'08.1" N	90°25'29.9" E
16.	RongruAsim	25°23'16.3" N	90°26'28.8" E
17.	Darenggre	25°24'25.6" N	90°26'45.7" E
18.	Jetragre	25°25'26.2" N	90°27'31.8" E
19.	RongmaKakija	25°28'56.3" N	90°14'17.9" E
20.	Rekmangre	25°22'58.8" N	90°29'57.6" E
21.	Paromgre	25°24'05.1" N	90°30'48.8" E
22.	Rongma Anti	25°24'47.1" N	90°31'00.2" E
23.	Dabalgre	25°23'45.5" N	90°33'17.8" E
24.	AruakNokatgre	25°23'11.6" N	90°35'25.1" E
25.	Gongjagre	25°25'508" N	90°35'268" E
26.	KakwaDuragre	25°26'497" N	90°33'797" E
27.	Rongbokgre	25°27'289" N	90°33'565" E
28.	Mabokgre	25°27'47.7" N	90°32'214" E
29.	Nojanggre	25°27'205" N	90°32'577" E
30.	Sobokgre	25°27'56.8" N	90°31'29.2" E
31.	NengsrangAdugre	25°28'52.6" N	90°29'10.9" E
32.	Pathalgre	25°29'537" N	90°29'934" E
33.	Jingamgre	25°29'230" N	90°28'428" E
34.	Bansinggre	25°30'535" N	90°27'389" E
35.	Rongchekgra	25°29'298" N	90°25'506" E
36.	Ampanggre	25°29'318" N	90°24'003" E
37.	Bandigre	25°30'406" N	90°24'018" E
38.	Mandalgre	25°30'943" N	90°22'137" E
39.	Boldorenggre	25°31'978" N	90°14'790" E
40.	NikrangAding	25°30'627" N	90°13'548" E
41.	Dura Kalakgre	25°30'561" N	90°18.454" E
42.	MandalNokat	25°30'704" N	90°20'045" E
43.	Rongbinggre	25°27'010" N	90°35'028" E
44.	Emangre	25°22'28.7" N	90°33'07.00" E
45.	Dadugre	25°22'29.8" N	90°33'08" E
46.	BaweDuragre	25°28'34.6" N	90°33'05.3" E
47.	Sakalgre	25°29'28.9" N	90°17'20.8" E
48.	Baladinggre	25°29'35.8" N	90°17'27.0" E
49.	Darechikgre	25°31'23.6" N	90°16'19.1" E

Annexure IV**Proforma of Action Taken Report:- Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-**

1. Number and date of Meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached Minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under Environment Impact Assessment Notification, 2006.
Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under Section 19 of Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).
8. Any other matter of importance.